रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 668] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2015/कार्तिक 7, 1937
No. 668] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2015/KARTIKA 7, 1937

## वित्त मंत्रालय

**(राजस्व विभाग)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2015

**सं. 22/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी)**

**सा.का.नि. 818(अ).**—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सिनेवैट क्रैडिट नियमावली, 2004 में और आगे संशोधन करते हुए एतदद्वारा निम्नलिखित नियमों को बनाती है, अर्थात:-

1. (1) ये नियम सिनेवैट क्रैडिट (पाचवां संशोधन) नियमावली, 2015 कहलाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में (इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) नियम 3 के उपनियम (7) में, खण्ड (ख) में पांचवें परंतुक के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात;

"बशर्ते यह भी कि जून, 2015 के प्रथम दिवस को अथवा उसके पश्चात् निर्गत सेवा के प्रदाता के परिसर में प्राप्त आगतों अथवा पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किया गया शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर के क्रेडिट का, किसी भी निर्गत सेवा पर लगने वाले सेवा पर भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सकता है :

बशर्ते यह भी कि वित्त वर्ष 2014-15 में निर्गत सेवा के प्रदाता के परिसर में प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर के शेष 50 प्रतिशत के क्रेडिट का, किसी भी निर्गत सेवा पर लगने वाले सेवा कर के भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सकता है:

बशर्ते यह कि ऐसी आगत सेवा जिसके संबंध में इनवायस, बिल, चलान अथवा रेल द्वारा वस्तुओं के परिवहन के लिए दिया गया सेवा कर प्रमाणपत्र (नियम 9 में संदर्भित), जैसा भी मामला हो, पर भुगतान किए गए शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर जो कि जून, 2015 के प्रथम दिवस को अथवा इसके पश्चात निर्गत सेवा के प्रदाता को प्राप्त होता है, के क्रेडिट का किसी भी निर्गत सेवा पर लगने वाले सेवा कर के भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सकता है।''

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

**टिप्पणी** : प्रधान नियम भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में दिनांक 10 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 23/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) के अंतर्गत दिनांक 10 सितम्बर, 2004 की सा.का.नि. सं. 600 (अ), के तहत प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 7 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना सं. 21/2015- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) के अंतर्गत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में दिनांक 07 अक्तूबर, 2015 की सा.का.नि. सं. 764 (अ), के अंतर्गत अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th October, 2015

**No. 22/2015-Central Excise (N.T.)**

**G.S.R. 818(E).—**In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely:–

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Fifth Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, in sub-rule (7), in clause (b), after the fifth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the credit of Education Cess and Secondary and Higher Education Cess paid on inputs or capital goods received in the premises of the provider of output service on or after the 1st day of June, 2015 can be utilized for payment of service tax on any output service :

Provided also that the credit of balance fifty per cent. Education Cess and Secondary and Higher Education Cess paid on capital goods received in the premises of the provider of output service in the financial year 2014-15 can be utilized for payment of service tax on any output service:

Provided also that the credit of Education Cess and Secondary and Higher Education Cess paid on input service in respect of which the invoice, bill, challan or Service Tax Certificate for Transportation of Goods by Rail (referred to in rule 9), as the case may be, is received by the provider of output service on or after the 1st day of June, 2015 can be utilized for payment of service tax on any output service.".

[F. No. 334/5/2015-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

**Note.-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification No.23/2004-Central Excise (N.T.), dated the 10th September, 2004 vide number G.S.R. 600(E), dated the 10th September, 2004 and last amended vide notification No.21/2015-Central Excise (N.T.), dated 7th October, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), by number G.S.R. 764(E), dated the 7th October, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.